<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

<u>सिविल अपील सं. 2476-2477/2019</u>

(एस. एल. पी. (सिविल) सं. 31521-31522/17 से उत्पन्न)

एम. आर. कृष्णा मूर्ति .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

न्यू इंडिया एशोरंस कंपनी लिमिटेड व अन्य .....प्रत्यर्थी(गण)

<u>निर्णय</u>

<u>ए. के. सीकरी, न्यायाधीश</u>

अनुमति प्रदान की गई |

2) अपीलकर्ता जो कि, यहाँ एक व्यावसायिक अधिवक्ता है, को 18 साल कि अल्प आयु में एक बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जोकि 26 मई 1988 को हुई, जब वह दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में विद्यार्थी था | वह अपना 18वां जन्मदिन मनाने के लिए, जो कि 27 मई, 1988 को पड़ता था, अपनी माँ के साथ दिल्ली से मसूरी की यात्रा कर रहा था | उक्त दुर्घटना दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर हुई, जिसमें उसकी पूरी बायीं टांग कुचली गई | उसे अस्तपताल ले जाया गया, जहाँ वह दो महीने तक भर्ती रहा यद्यपि अपीलकर्ता को दो महीने के पश्चात् छुट्टी दे दी गई थी तथापि 6 वर्षो तक उसका उपचार जारी

रहा, जिस अवधि के दौरान उसे आगे भी ऑपरेशन से गुजरना पड़ा | कुल मिलकर तीन बार सर्जरी हुई | पहली प्लेट और स्क्रू लगाने के लिए, दूसरी प्लेट और स्क्रू हटाने के लिए, जिसमें डॉक्टर को पता चला कि वह फ़ीमर हड्डी के प्लेट्स और स्क्रू को नहीं हटा सकता है | नतीजा यह है कि आज भी फ़ीमर हड्डी में उक्त स्क्रू और प्लेट्स लगे हैं | जिससे उससे कभी भी फ्रैक्चर होने का खतरा है | तीसरा ऑपरेशन दाहिने पैर में एक गांठ को हटाने के लिए किया गया था, जो दुर्घटना के बाद कुछ वर्षो में विकसित हुई थी |

3) अपीलकर्ता के अनुसार, उपरोक्त भीषण दुर्घटना का कुल परिणाम यह है कि वह आज स्थाई विकलांगता (आने-जाने में दर्द और कठिनाई) से पीड़ित है | यह विकलांगता ज़िला सरकारी अस्पताल, मुजफ्फ़रनगर द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र दिनांकित 10.12.2005 के अनुसार 40% की दर से (प्रदर्श PW-4/103) प्रमाणित है |

4) अपीलकर्ता ने दुर्घटना के दावे हेतु मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मुजफ्फ़रनगर, उ.प्र. में एक आवेदन पत्र दाखिल किया चूँकि दुर्घटना उक्त (एम.ए.सी.टी.) के अधिकार क्षेत्र में हुई थी | हांलाकि, उक्त दावा याचिका के हस्तांतरण के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर, इस अदालत ने 12 जनवरी, 1998 को आदेश पारित कर मामले को पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली में हस्तांतरित कर दिया था | एम.ए.सी.टी. ने परीक्षण के समापन के उपरांत अपने द्वारा

पारित अवार्ड दिनांकित 23.05.2007 में अम्बेसडर कार के ड्राईवर को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जिसकी लापरवाही से अम्बेसडर कार ने उस वाहन को टक्कर मार दी जिसमें अपीलकर्ता यात्रा कर रहा था | चूँकि उपरोक्त दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई थी (प्रत्यर्थी न. 4 एम.ए.सी.टी. प्रकरण में) और प्रत्यर्थी न. 1, न्यू इंडिया एशोरंस कंपनी लिमिटेड से बीमाकृत है इसलिए बीमा कंपनी, वाहन चालक और वाहन के स्वामी को भी इस प्रकरण में प्रत्यर्थी के रूप में श्रृंखलाबद्ध किया गया | उसके उपरांत एम.ए.सी.टी. ने दावे की मात्रा के विवाद पर विचार करते हुए रुपये 8,48,000/- का प्रतिकर अधिनिर्णित किया, जो निम्न रूप से विभाजित है:

दर्द और पीड़ा	रुपये 50,000/-
दवाईयाँ	रुपये 2,10,000/-
विशेष आहार	रुपये 15,000/-
वाहन खर्च	रुपये 15,000/-
18 के गुणक को अपनाने वाली आय के नुकसान पर मुआवज़ा	रुपये 4,08,000/-
स्थाई विकलांगता	रुपये 75,000/-
अटेंडेंट	रुपये 25,000/-
आनंद की हानि	रुपये 50,000/-
कुल योग	रुपये 8,48,000/-

5) एम.ए.सी.टी. ने दस साल के अन्तराल के लिए 7% की दर से ब्याज भी दिया, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि, दावा याचिका दो बार अनुपस्थिति में खारिज कर दी गई है |

6) अपीलकर्ता ने तदुपरान्त एक अपील उच्च न्यायालय में दाखिल की हालाँकि जब इसकी सुनवाई हुई कोई भी अपीलकर्ता की तरफ से उपस्थित नहीं हुआ | इस तथ्य को देखते हुए की लगातार कई तारीखों पर अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, परन्तु अनुपस्थिति में अपील को खारिज करने कि बजाय, उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात् अपील का फैसला गुण के आधार पर कर दिया |

7) अपील में अपीलकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि एम.ए.सी.टी. विकलांगता प्रमाण पत्र को ध्यान में रखने में विफल रहा था | जिसमें यह दर्शाया गया था कि, अपीलकर्ता को स्थाई विकलांगता का 40% तक नुकसान हुआ था | इस तर्क को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज़ कर दिया कि एम.ए.सी.टी. ने वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा भविष्य में होने वाले नुकसान कि गणना इस आधार पर की थी, जिसमें अपीलकर्ता ने अपनी आय क्षमता को प्रभावित करने वाली 40% की सीमा तक की कार्यात्मक विकलांगता का सामना किया था | उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दाखिल वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 के आयकर रिटर्न का भी अवलोकन किया | उच्च न्यायालय के अनुसार, यह आयकर रिटर्न आप्रासंगिक थे और उन्हें नहीं माना जा सकता था क्योंकि वर्ष 1988 में दुर्घटना हुई थी और उसके तत्पश्चात ही क्षतिपूर्ति

दुर्घटना की तारीख से तय की जानी थी, जब दावेदार मात्र 18 वर्ष का लड़का था | इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कुछ अन्य आधारों पर भी अपनी टिप्पणी दी जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलकर्ता को 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ड्राइवर की सेवाओं की आवश्यकता होगी जो कि एक अपेक्षित जीवन काल है हालाँकि इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था | अपीलकर्ता द्वारा दी गई विकलांगता और शारीरिक अक्षमता की प्रकृति को देखते हुए उच्च न्यायालय ने 50,000/- रुपये की एकमुश्त अतिरिक्त राशि भी अपीलकर्ता को दी |

8) इसके बाद अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले दिनांकित 17 मई, 2016 के पुनरीक्षण हेतु सिविल प्रक्रिया के आदेश LXVII, नियम 1 के अंतर्गत एक पुनरीक्षण याचिका को प्राथमिकता दी जिसमे एम.ए.सी.टी. द्वारा दिए गए त्रुटिपूर्ण निर्णय को दर्शाया गया था चूँकि इसने गुणक 17 का गुणन किया था जबकि 18 के गुणक को आय के नुकसान और मुआवजे में गणना करते समय अपनाया जाना था | इस तथ्य को देखते हुए कि, अपीलकर्ता या अपीलार्थी केवल 18 वर्ष की आयु का था जब उसे चोटें आई थीं | यह अभिवाक उच्च न्यायालय द्वारा मान लिया गया और गुणक 17 की बजाय 18 को मान लिया गया, जिसके फलस्वरूप 24,000/- रुपये की राशि ब्याज सहित बढ़ा दी गई | 17 मई, 2016 का मुख्य निर्णय और आदेश

दिनांकित 19 मई 2017 जो कि पुनरीक्षण याचिका में पारित किया गया है वर्तमान अपील का विषय बिंदु है |

9) श्री अरुण मोहन, अपीलकर्ता के लिए उपस्थित वरिष्ठ वकील ने दो तरह की प्रस्तुतियां की है जोकि अनुवर्ती तरीके से परिभाषित की गई है:

(i) पहले उदाहारण में यह प्रस्तुत किया गया है कि एम.ए.सी.टी. और साथ ही उच्च न्यायालय ने भी भविष्य की कमाई के नुकसान का आकलन करते हुए, 5000/- रुपये की दर से आय को निर्धारित करके भविष्य की कमाई की गणना करने में त्रुटि की है | विद्वान वरिष्ठ वकील ने निवेदित किया कि, निसंदेह उस वक्त अपीलकर्ता केवल एक छात्र था और उस स्तर पर उसे कोई वास्तविक कमाई नहीं थी, परन्तु भविष्य की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित कानून है | विद्वान वरिष्ठ वकील का निवेदन यह था कि भविष्य की कमाई के नुकसान का आकलन करते समय, अदालत को पीड़ित की पारिवारिक पृष्ठभूमि, संस्था जिसमें वह शिक्षा प्राप्त कर रहा था, अपनी पसंद के व्यवसाय को चुनने की क्षमता, मौजूदा परिस्थितिओं को देखते हुए उसके व्यवसाय की संभावनायें आदि को भी देखना चाहिए था | इस सन्दर्भ में, श्री अरुण मोहन ने बताया कि अपीलकर्ता वकीलों के परिवार से हैं जिसके माता-पिता सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील है और वहाँ

प्रेक्टिस कर रहे हैं | इस पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण अपीलकर्ता भी क़ानूनी व्यवसाय में शामिल होना चाहता था | हालाँकि दुर्घटना के समय वह स्कूल में पढ़ रहा था परन्तु उसके उपरांत उसने कानून की पढ़ाई का इरादा किया हुआ था | उसने वस्तुतः कानून की पढ़ाई की और क़ानूनी पेशे में शामिल भी हो गया जैसा कि रिकॉर्ड पर भी उपलब्ध है | जिस वक्त तक अपीलकर्ता वकील बना, उसका केस एम.ए.सी.टी. में लंबित था | संपन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में आगे निवेदित है कि, दुर्घटना के समय अपीलकर्ता प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली में पढ़ रहा था | यह तमाम परस्थितियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि अपीलकर्ता का एक उज्जवल भविष्य था और इसलिए उसकी भविष्य की आय का आकलन उपरोक्त संभावनाओं को आंके बिना नहीं किया जा सकता और उसकी भविष्य की कमाई का निर्धारण मात्र 5000/- रुपये की दर से करना बहुत ही कम है | उन्होंने यह भी निवेदित किया कि यद्यपि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका में उक्त आशय का विशिष्ट आधार लिया गया था, परंतु उच्च न्यायालय ने उस पर कदापि विचार नहीं किया |

(ii) श्री अरुण मोहन कि दूसरी प्रस्तुति एक भावुक दलील है जिसका उद्देश्य निम्नलिखत स्तरों पर प्रणाली में सुधार करना था:

a) सड़क सुरक्षा पर बिना किसी देरी के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करना | दावों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए,

वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना जो नवीन उपायों को लागू कर सकता है |

b) एम.ए.सी.टी. द्वारा मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए नवीन उपायों को अपनाने हेतु पर्याप्त कदमों की शुरुआत |

c) पीड़ितों या पीड़ितों के परिवारजनों के सुरक्षित हाथों में मुआवज़े की प्राप्ति सुनिश्चित करना, वह भी एक निरंतर अवधि में |

10) श्री अरुण मोहन के इन पहलुओं और सुझावों पर विस्तृत निवेदन निम्नानुसार हैं:

"सड़क सुरक्षा और मुआवज़ा

ऐसा देखा गया है कि प्रति वर्ष (1,40,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं जबकि 5,00,000 घायल होते है), जिसमें से 10% से भी कम दावे के लिए एम.ए.सी.टी. तक पहुँचते हैं, जबकि 90% तक की न्याय तक पहुँच नहीं है और 10% या उसके लगभग जोकि एम.ए.सी.टी. तक पहुँचते हैं, उनके संदर्भ में प्रश्न उठते हैं:

1. इन दावों की सुनवाई के लिए राज्य न्यायपालिका और बीमा क्षेत्र की लागत क्या है ?
2. समय देरी क्या है ?
3. दावों के भुगतान तक घायल और उस पर निर्भर व्यक्ति किस आय स्रोत पर गुजारा करते हैं?
4. दावे के अंतिम भुगतान में वास्तव में प्राप्तकर्ताओं तक कितना पैसा पहुँचता हैं और कितना खो जाता है ?
5. दावे के भुगतान के लगभग 5 वर्ष बाद अधिकतर प्राप्तकर्ताओं के पास क्या रह जाता हैं ?

यह एक जमीनी स्तर के सर्वेक्षण पर कुछ परेशान करने वाले प्रश्न थे |

अलग ढंग से कहे, तो सबसे पहले, जैसा कि अधिकांश लोग गरीब हैं, शायद ही न्याय तक कोई पहुँच पाता हो, देश के संसाधनों को बर्बाद कर दिया जाता है, न्याय में देरी और कठिनाईयां होती है और भुगतान में कटौती होती है और जो पैसा मिलता है वो भी असुरक्षित रहता है | इन समस्याओं को हल करने के लिये दो प्रस्ताव हैं:

1. प्रत्येक जिले में एक मोटर दुर्घटना मध्यस्थता प्राधिकरण की स्थापना (एम.ए.एम.ए.) |

2. दुर्घटना जाँचकर्ता के लिए यह अनिवार्य बनाना

   a. अपने रिपोर्ट की प्रति (एम.ए.एम.ए.) को भेजे;

   b. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् सेल को ईमेल भेज कर दुर्घटना स्थान की पहचान करे और बताये कैसे भविष्य में होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है |

   एम.ए.एम.ए. निम्न प्रक्रिया को अपनायेगा:

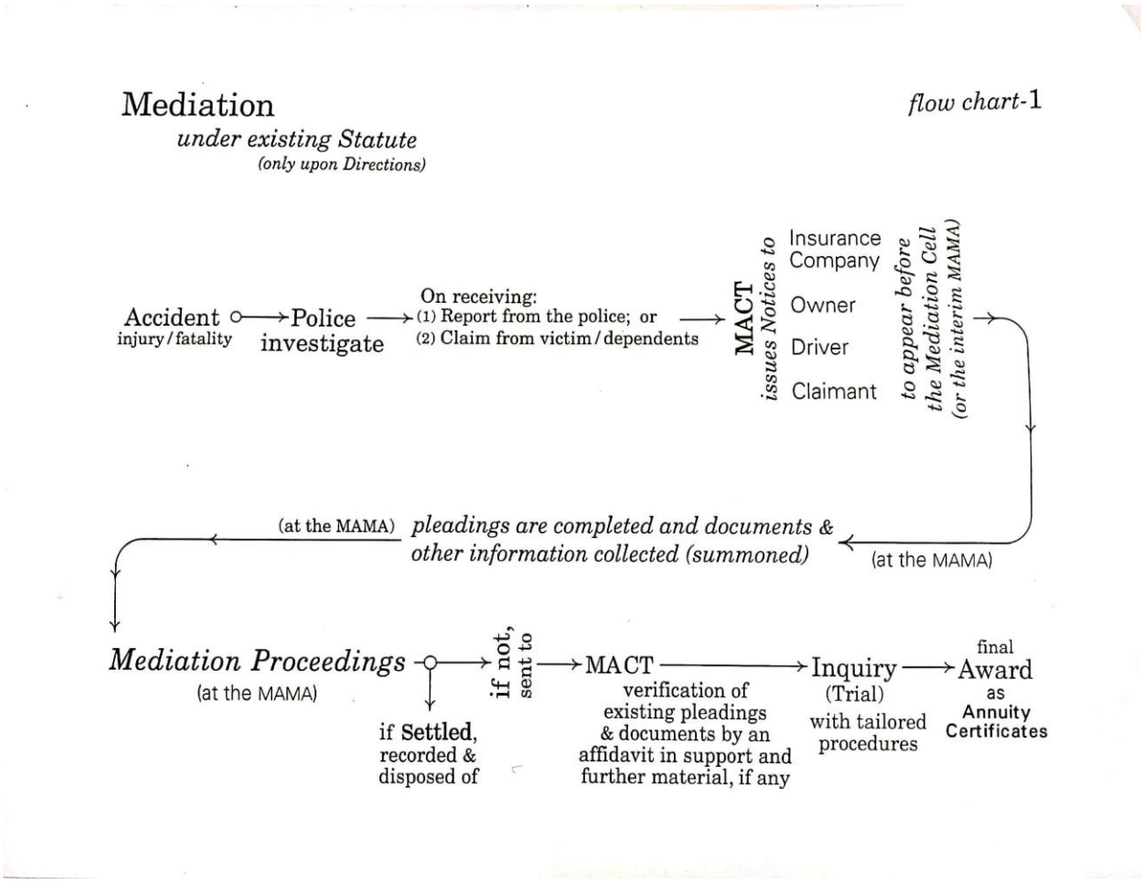
   1. एम.ए.एम.ए. उसके बाद दावेदारों और अन्य लोगों को नोटिस जारी करेगा |
   2. मुकद्दमे के लंबित रहने की अवधि तक, कुछ हज़ार रुपये का मुआवज़ा (पुनरावृत्ति के साथ) पीड़ित के आधार लिंक बैंक खाते में सीधे क्रेडिट के रूप में जमा होगा |
   3. एम.ए.एम.ए. में कागज़-पत्र के कार्य का समापन;
   4. एम.ए.एम.ए. में मध्यस्थता कार्यवाही;
   5. प्राप्तकर्त्ता के हाथ में पूर्ण सुरक्षा

   तय राशि रुपये (अथवा एफ.डी.आर.) के रूप में नहीं दी जाती बल्कि वार्षिक प्रमाणपत्र के रूप में दी जाती है जिस से उसी मूल्य में अधिक आय होता है अर्थात् दावेदार द्वारा पूर्ण प्राप्ति के साथ बीमा क्षेत्र को कम भुगतान करना पड़ता है|

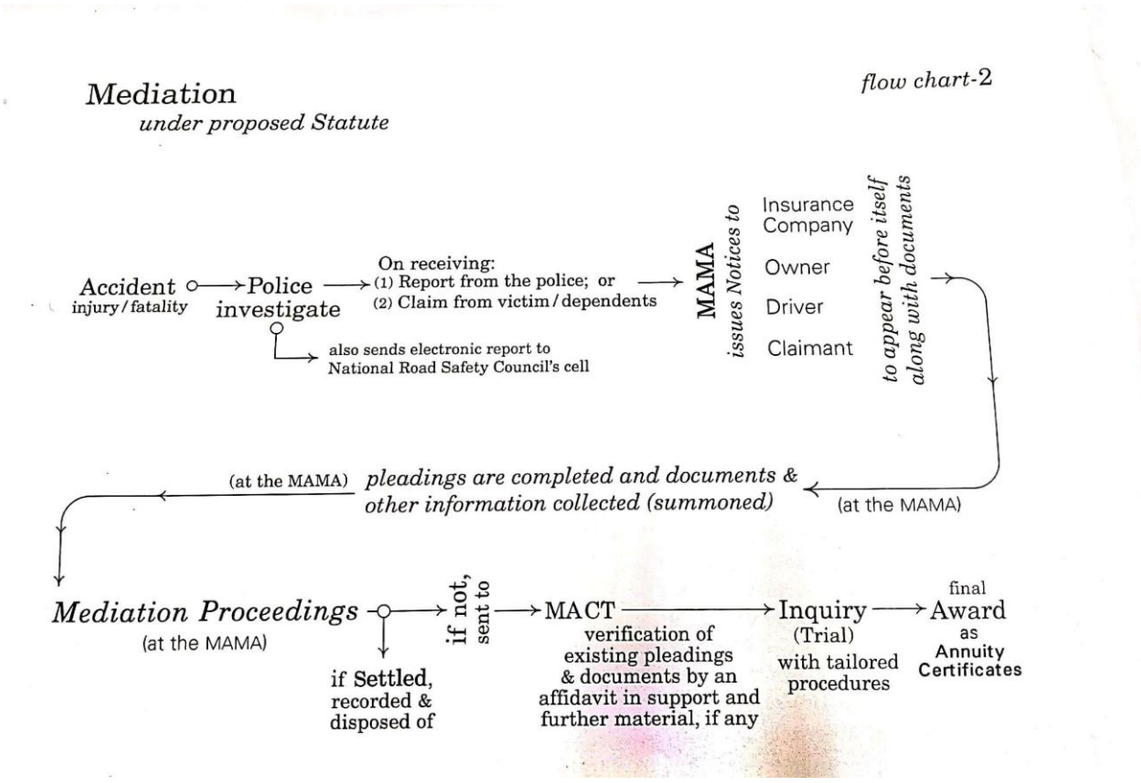
11. उन्होंने आगे निवेदन किया कि न्यायालय इन प्रक्रियाओं और योजनाओं को बनाने के लिए सरकार को निदेश करने पर विचार कर सकता है | पेंशन निधि नियंत्रक तथा विकास प्राधिकरण एवं वाणिज्यिक बैंकों / बीमा कंपनियों से परामर्श करके एल.आई.सी. /आर.बी.आई. वार्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का कार्य कर सकती है|

12. सराहने और परिपालन हेतु, उन्होंने निम्नुसार दो प्रवाह-चार्ट दिए:-

प्रवाह चार्ट -1 (मूल अंग्रेजी रूप में पुनः प्रस्तुत)



प्रवाह चार्ट-2 (मूल अंग्रेजी रूप में पुनः प्रस्तुत)



13. प्रवाह चार्ट -1 में (विद्यमान विधि के अंतर्गत), इस न्यायालय से समस्त एम.ए.सी.टी.स को एक निर्देश अपेक्षित है कि, मोटर दुर्घटना मामलों को अनिवार्य रूप से जिला मध्यस्थता प्राधिकरण में निर्देशित किया जाऐ जो यह कार्य करेंगे जब तक कि सरकार अधिनियम में संशोधन नहीं करती | प्रवाह चार्ट-2 यह दिखाता है कि, संशोधित अधिनियम एवं नियम देश के प्रत्येक जिला में मोटर दुर्घटना मध्यस्थता प्राधिकरण (एम.ए.एम.ए.) स्थापित करने का प्रावधान रखा है | उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि, नियम में यह भी प्रावधान हो कि प्रत्येक दुर्घटना अन्वेषक (1) एम.ए.एम.ए. तथा (2) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा काउंसिल प्रकोष्ठ को सूचना भेजे |

14. सकारात्मक भाव से बोलते हुए, श्री मोहन ने यह भी निवेदन किया कि, मामा के प्रावधान से आशा है कि:

    (1) महत्वपूर्ण रूप से न्याय तक पहुँच बढ़ेगी;

    (2) न्यायालय की लागत घटेगी;

    (3) बीमा क्षेत्र लागत (भुगतान में रूप में) घटेगी;

    (4) भुगतान के वार्षिक प्रमाणपत्र लगभग “बन्दर बाँट” को समाप्त कर देंगे; तथा

    (5) प्राप्तकर्ताओं को वास्तविक लाभ (वार्षिक प्रमाणपत्र के साथ) कहीं अधिक होगा जो वर्तमान में उन्हें मिलता हैं |

15. बीमा कंपनी के निमित्त पेश होने वाले फ़ाज़िल अधिवक्ता श्री सलिल पॉल ने भविष्य की संभावनाओं के आधार पर मुआवज़े की रक़म पर बहस की | उनका

निवेदन था कि न्यायालयों द्वारा जो मापदंड भविष्य की संभावनाओं के आधार पर आय निर्धारित करने हेतु अपनाया गया था, जिसके आधार पर अपीलार्थी को मुआवज़ा दिया गया वह इस न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गए विभिन्न निर्णयों के अनुरूप है | अतः जहाँ तक मुआवज़ा प्रदान करने का सम्बन्ध है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप उचित नहीं| उन्होंने समर्थन में अमुक निर्णयों को संदर्भित किया |

16. श्री अरुण मोहन के द्वितीय निवेदन के सन्दर्भ में श्री सलिल पॉल ने एक सकारात्मक उत्तर दिया कि श्री अरुण मोहन द्वारा दिए गए सुझाव पूरी प्रणाली के सुधार हेतु बड़े जनहित में हैं, इसी कारणवश वो, यदि इस निमित्त न्यायालय युक्तियुक्त निर्देश जारी करे तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं | उसी समय उन्होंने यह भी बताया कि जहाँ तक मुकद्दमों के शीघ्र निपटान एवं पीड़ितों, विशेषकर, नवयुवक पीड़ितों के मुआवज़ा भुगतान का सम्बन्ध है तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे जिसके आधार पर दावा अधिकरण सहमत प्रक्रिया दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था | उसी का एक संशोधित रूपांतरण अभी-अभी 7 दिसम्बर, 2018 को अनुमोदित किया गया जो शीघ्र निपटान के साथ-साथ एक समय कालावधि के दौरान नवयुवक पीड़ितों को कालावधि आधार पर भुगतान किये जाने पर ध्यान देता हैं| श्री सलिल पॉल ने अभिलेख पर सुसंगत निर्णयों के साथ-साथ 7 दिसम्बर, 2018

के आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुमोदित संशोधित द्वारा अधिकरण सहमति प्रक्रिया को पेश किया |

17. अब हम उपरोक्त दोनों मफरूज़ों के गुण पर चर्चा करने हेतु आगे बढ़ते हैं |

(I) **<u>मुआवज़े का निर्धारण:</u>**

निस्संदेह अपीलार्थी विद्यालय में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था | वो कोई कार्य नहीं कर रहा था और किसी व्यवसाय से नहीं जुड़ा था और इस प्रकार वो कुछ कमा नहीं रहा था | भविष्य की कमाई की हानि उपरोक्त आधार पर निर्धारित की जाएगी | श्री अरुण मोहन द्वारा की गई बहस को देखने एवं उपरोक्त का ध्यान करने से पूर्व, दोनों पक्षकारों द्वारा हमारे समक्ष रह गए अमुक निर्णयों को देखना उचित होगा ताकि ऐसी परिस्थितियों में भविष्य की कमाई की हानि निर्धारण का सिद्धांत पता किया जा सके | पहला मुक़द्दमा जिसे हम संदर्भित करना चाहेंगे वो ***अरविन्द कुमार मिश्रा बनाम नई इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,*** (2010) 10 एस.सी.सी. 254 के मुक़द्दमे में दिया गया निर्णय है | उस मुकद्दमे में भी दुर्घटना का पीड़ित जो अपीलार्थी था वह एक विद्यार्थी ही था | वह इंजीनियरी के अंतिम वर्ष में था जो वो एक प्रसिद्ध महाविद्यालय से कर रहा था | उसका शैक्षिक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार था और वह सत्रक परीक्षाओं में विशेष योग्यता सहित उत्तीर्ण हुआ था | जो दुर्घटना घटी उसमें

अपीलार्थी को विभिन्न जख्म आये जिसके चलते उसे 70% स्थायी अशक्तता प्राप्त हुई | इस अशक्तता ने उसे अक्षम बना दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसका मकेनिकल इंजीनीयर बनने का सपना चकनाचूर हो गया जिस करियर के लिए उसने इतनी पढ़ाई की थी | उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जनरोज़गार में एक सहायक अभियंता को मिलने वाली तनख्वाह एवं दिए जाने वालो भत्तों को देखते हुए उसकी भविष्य की कमाई रूपये 60,000/- वार्षिक निर्धारित की गई थी | इस भविष्य की कमाई को 30% घटाया गया था जिसके आधार पर गुण्य रुपये 42,000/- वार्षिक हुआ था | उसकी आयु को देखते हुए जो दुर्घटना के समय 25 वर्ष की थी, 18 से गुणा किया गया जिसके आधार पर भविष्य की कमाई की हानि के मुआवज़े के रूप में रुपये 7,56,000/- निर्धारित किया गया था | दूसरा मुक़द्दमा जिसका सन्दर्भ दिया गया वो ***ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम देव पटौदी अन्य***, (2009) 13 एस.सी.सी. 123 हैं इसमें पीड़ित एक बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी था जो इंग्लैंड में अर्ध समय कार्य के आधार पर प्रतिमास रुपये 80,000/- भी कमा रहा था | उसने अमेरिका आधारित एक कंपनी द्वारा वार्षिक रुपये 18,00,000/- की तनख्वाह वाली एक जॉब के पेशकश को स्वीकार नहीं किया था | तथापि दुर्घटना के समय वह कार्य नहीं कर रहा था | 12 जून, 2003 को दुर्घटना

घटी जब वह 22 वर्ष का था | उसे सिर में जख्म लगे जो घातक सिद्ध हुए और वह 6 दिनों के अन्दर अर्थात् 18.06.2003 को मर गया | "आश्रय की हानि" (दावेदार का वो अकेला लड़का था) के शीर्षक के अंतर्गत मुआवज़े का हिसाब लगाते हुए अधिकरण तथा उच्च न्यायालय ने भी यह माना कि मृतक केवल रुपये 18,000/- प्रतिमास कमाया होता | इस न्यायालय ने अपील में तथापि उपरोक्त आय के आंकलन को कम विचार किया और न्यायालय ने कमाई को रुपये 25,000/- प्रतिमास निर्धारित करने का निर्णय लिया जो वो इंग्लैंड में कमा रहा था उस राशि का केवल एक तिहाई था |

इस निमित सुसंगत बहस निम्नानुसार :-

> "8. आश्रय की हानि के गणना के सम्बन्ध में यह प्रश्न घिसापिटा है कि मामला मामला में अंतर होगा | इस तथ्य पर कि मृतक एक प्रतिभावान विद्यार्थी था, कोई विवाद नहीं है | उसने इंग्लैंड में व्यवसाय प्रशासन में स्नातक किया था | विद्यार्थी के रूप में, अंश समय कार्य के आधार पर उसे प्रतिमास रुपये 80,000/- (1008.31 UK £) की तनख्वाह मिल रही थी | उसने अपने आयकर का भुगतान इंग्लैंड में भी किया था | अपने स्नातक के पश्चात् वो भारत वापिस आ गया था | ई. यू. कंट्रोलर के रूप में उसे शिकागो, अमेरिका आधारित जी. ओ. ए. एल. एल. सी. कंपनी द्वारा रुपये 18 लाख (अर्थात् $ 41,600) की सालाना तनख्वाह पर जॉब की पेशकश हुई थी | तथापि जब दुर्घटना घटी तो वह कार्य नहीं कर रहा था | क्योंकि उक्त पेशकश को स्वीकार नहीं किया था | वो अभी भी विद्यार्थी था | उस आधार पर निर्भरता की हानि के लिए मुआवज़े की राशि की गणना करना अधिकरण के लिए घातक होता |

9. उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अधिकरण एवं उच्च न्यायालय का यह मानना कि वो केवल 18 हज़ार रुपये ही प्रतिमास कमा पाता, हमारे विचार में ठीक नहीं | यह सत्य है कि पश्चिमी देशों में जीवन का खर्चा ज्यादा होता हैं | पश्चिमी देशों के जीवन का मापदंड का अनुपालन नहीं किया जा सकता; इस न्यायालय के समक्ष रखे गए किसी सामग्री के अभाव में इसका भारत में पालन नहीं किया जा सकता | दुर्घटना का पीड़ित जब अमेरिकी डॉलर में अपना वेतन पा रहा था, उस मामले में भी इस न्यायालय ने विचार किया कि निचले गुणा को लागू किया जाये |

10. युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पेट्रिसिया जीन महाजन [(2002) 6 एस.सी.सी. 281] इस न्यायालय ने माना कि (एस.सी.सी. पी.पी. 294-95, पैरा 19-20)

> “19. वर्तमान मामले में हम देखते हैं कि मृतक के माता पिता 69/73 वर्ष के थे | दो बेटियां 17 और 19 वर्ष की थीं | इस मुक़द्दमे में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दी गई परिस्थितियों में गुण्य कि राशि का भी महत्त्व है | निर्भरता की कुल राशि जो फ़ाज़िल एकल न्यायाधीश द्वारा पायी गई और खण्ड पीठ द्वारा ठीक रूप से जिसकी पुष्टि की गई वो 2,26,297 डॉलर है | ब्याज़ सहित राशि और 47/- रुपये के बदल दर को 10 से गुणा करने पर यह 10.38 करोड़ रुपए बनता है | भारतीय अर्थव्यवस्था, वित्त एवं वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह राशि निश्चित रूप से बहुत बड़ी है | यद्दपि अमेरिकी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में ऐसा नहीं है | अतः जब दो स्थानों अर्थात् वो स्थान जहाँ का पीड़ित है और वो स्थान जहाँ मुआवज़ा दिया जाना है उसके प्रभाव एवं वित्तीय परिस्थितियों में जब बहुत अंतर हो तो कहीं न कहीं एक स्वर्ण संतुलन बना जाना चाहिए ताकि एक युक्तियुक्त एवं उचित प्रतिफल को प्राप्त किया जा सके | भारतीय मापदंड को देखते हुए उन्हें बहुत ज्यादा मुआवज़ा नहीं दिया जा रहा एवं इसी प्रकार उस देश की पृष्ठ भूमि में जहाँ अधिकतर आश्रित लाभार्थीगण रहते हैं, बहुत कम मुआवज़ा भी नहीं हैं | आश्रितों में से दो अर्थात् 69/73 वर्षीय माता-पिता भारत में रहते हैं परन्तु

उनमें से चार अमेरिका में रहते हैं | श्री सोली जे. सोराबजी का निवेदन है कि गुण्य की राशि अवश्य रूप से सुसंगत होगी और उस दशा में जब यह एक बहुत बड़ी राशि हो, तो युक्तियुक्त रूप से कुछ कम से गुणा किया जा सकता है | इस निवेदन में हम बल पाते हैं .....

20. न्यायालय वास्तविक परिस्थितियों की पूर्णरूप से उपेक्षा नहीं कर सकता | गुण विहित करते समय द्वितीय अनुसूची में अपने मस्तिष्क में 40,000/- रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम आय रखी थी परन्तु अधिकतर आय के मामलों में इस विहित गुणनक को लागू करना एक सुरक्षित दिशा निर्देश विचार किया जाता है परन्तु आय में बहुत अंतर हो वैसे मामलों में जैसा कि प्रस्तुत मामले में है कि आय 2,26,297 डॉलर हैं ऐसी परिस्थिति में भी यह नहीं कहा जा सकता कि गुणनक का कुछ अवहेलना बिलकुल ही अनुज्ञेय होगा | द्वितीय अनुसूची में दिए गए गुणनक से इस मामले में कुछ हटाया जा सकता हैं | पूर्व में इंगित कारकों से हट कर गुण्य की राशि भी एक काक है जिसको ध्यान में रखा जायेगा, जो इस मामले में 2,26,297 डॉलर हैं जिसका अर्थ यह है कि यदि इसे 30/- रुपये की दर से बदलें तो लगभग 68 लाख रुपयों की राशि प्रतिवर्ष होगी | भारतीय मापदंड से यह निश्चित रूप से एक बड़ी राशि है | अतः उचित मुआवज़े के प्रयोजन हेतु गुण्य की बड़ी राशि पर लागू किये जाने हेतु कुछ कम से गुणा किया जा सकता है |"

तथापि उक्त निर्णय कुछ सीमा तक इस न्यायालय द्वारा पंजाब नेशनल बैंक बनाम इंडियन बैंक [(2003) 6 एस.सी.सी. 79]

11. उपरोक्त परिस्थिति में हमारे विचार में मुआवज़े की उचित राशि प्रतिमास 25 हज़ार रुपये गिनी जानी चाहिए थी जो वो इंग्लैंड में पा रहा था उस राशि का लगभग एक तिहाई होता |"

18) हम दिल्ली उच्च न्यायालय के एम.ए.सी. एप्लीकेशन सं. 135/2008 शीर्षक "***न्यू इंडिया एश्योरेंस कं लि. बनाम गंगा देवी व अन्य***" में दिनांक 23.11.2009 को दिए निर्णय पर भी ध्यान देंगे | उस मामले में भी दुर्घटना में पीड़ित की मौत हुई थी, जिसका नाम डॉ. बृजमोहन था । हादसे के वक्त उसकी उम्र 24 साल थी और उसने एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई पूरी की थी । वह एक साल की इंटर्नशिप कर रहा था और उसे 5 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड (वेतन) मिल रहा था । मृतक ने मेडिकल ऑफिसर पद के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी और इंटर्नशिप पूरी करने के बाद मेडिकल ऑफिसर के पद पर उसकी नियुक्ति होनी थी । उस अस्पताल के, जहां मृतक इंटर्नशिप कर रहा था, वरिष्ठ सहायक, पीडब्ल्यू-2 के साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया, जिसने यह बयान दिया कि अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के बाद, मृतक की उसी अस्पताल में 18 हजार रुपये से 20 हजार रुपए प्रति माह के वेतन पर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में नियुक्ति की संभावना थी ।

19) ट्रिब्यूनल ने यह विचार रखा कि उपरोक्त साक्ष्य आय को साबित करने के लिए अपर्याप्त थे । तदनुसार, इसने एक स्नातक कामगार की न्यूनतम मजदूरी को 3,543/- रुपए प्रतिमाह के रूप में लिया और 50% मुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांक में वृद्धि के लिए जोड़ा | इसमें से, निजी खर्चों के लिए

एक तिहाई की कटौती की गई थी तथा निर्भरता के नुकसान की गणना करने के लिए 9,35,352/- रूपये पर 11 का गुणक लगाया गया । उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश को इस आधार पर खारिज किया कि पीडब्ल्यू-2 का साक्ष्य विश्वसनीय था । इस आधार पर, इसी न्यायालय द्वारा ***सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम (209) 6 SCALE 129*** में दिए निर्णय का पालन करते हुए, आय 18,000/- रुपये प्रतिमाह ली गयी जिसमें भविष्य की संभावनाओं के लिए 50% की वृद्धि की गई । निजी खर्चों के लिए कटौती की गई जिस पर 13 का गुणक लगाया गया था ।

20) उपर्युक्त मामले उन सभी पीड़ितों के हैं जो दुर्घटना के समय छात्र थे और वास्तविक रोजगार में नहीं थे । इसके अलावा, श्री अरुण मोहन ने ***एन. मंजेगौड़ा बनाम प्रबंधक, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2014) 3 SCC 584*** में निर्णय का उल्लेख किया था, जहां एक दुर्घटना का शिकार एक युवा अधिवक्ता था, जिसकी आयु लगभग 36 वर्ष थी । दुर्घटना में, वह 50% पूर्ण शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त हो गया । यह निर्णय दुर्घटना में विकलांगताग्रस्त एक वकील की कमाई की क्षमता के नुकसान का निर्धारण करने में अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांत दिखाने के उद्देश्य के लिए उद्धृत किया गया है । अधिकरण ने विकलांगता के कारण भविष्य में होने वाली आय में 6,17,500/- रुपये प्रति वर्ष की हानि का आकलन किया था ।

उच्च न्यायालय ने इसे घटाकर 1,50,000/- रुपये कर दिया । इस अदालत ने माना कि इस दुर्घटना के कारण अपीलकर्ता को अपने सभी अंगों पर आंशिक संवेदन क्षति पहुंची थी और चारों अंगों में उचित समन्वय का अभाव था । उसे दिनचर्या के काम के लिए भी सहायता की आवश्यकता थी । अदालत की राय में, इस तरह की विकलांगता से एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता में और कानूनी पेशे के क्षेत्र में अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा में बाधा आई । इस हालत में उसे भारी व्यावसायिक नुकसान होना स्वाभाविक था । इस न्यायालय ने उपर्युक्त परिस्थितियों में यह विचार किया कि भविष्य में 6,17,500/- रुपये की आय की हानि के लिए किसी कटौती की आवश्यकता नहीं थी । इसके विपरीत, आय की हानि को 70% माना जाना चाहिए और उपयुक्त गुणक 13 के स्थान पर 16 होना चाहिए । इस आधार पर विकलांगता के कारण होने वाली आय की हानि 6,17,500/- रुपये में कम से कम 4,00,000/- रुपये बढ़ाने की जरूरत थी और विकलांगता के कारण होने वाली आय के मद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति को तदनुसार आकलित किया गया ।

21) दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई विकलांगता के कारण होने वाली भावी आय के नुकसान के आकलन से संबंधित कतिपय निर्णयों पर ध्यान देना भी उचित होगा क्योंकि ये मामले इस तरह के नुकसान का आकलन करने के लिए

निर्धारित सामान्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगे, भले ही ये मामले उन पीड़ितों से संबंधित हैं जो आय प्राप्त कर रहे थे |

22) ***राज कुमार बनाम अजय कुमार एवं अन्य (2011) 1 SCC 343*** के मामले में, जहां पीड़ित निचले बाएं अंग में 45% विकलांगता से पीड़ित हुआ तथा उसे 25% स्थायी कार्यात्मक विकलांगता हुई, न्यायालय ने यह माना कि यह एक कार्यात्मक विकलांगता है जो कि भविष्य की कमाई के नुकसान के आकलन में कसौटी होगी, न कि शारीरिक विकलांगता के आकलन हेतु । स्थायी विकलांगता के कारण होने वाली कमाई के भविष्य में होने वाले नुकसान के आकलन के बारे में विस्तृत और स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है, जिसमें इस विषय के हर सूक्ष्म पहलु पर चर्चा करते हुए सभी संभावित पहलुओं को शामिल किया गया है | स्थायी विकलांगता का अर्थ समझाने और उसकी अस्थायी विकलांगता से तुलना करने के बाद और यह भी कि जिस तरह से विकलांगता प्रमाणपत्रों में डॉक्टरों द्वारा व्यक्त किए गए विभिन्न अंगों की स्थायी विकलांगता की व्याख्या की जानी है, अदालत ने स्पष्ट किया कि भविष्य में होने वाली आय की हानि के मद में मुआवजे का आकलन उसकी अर्जन क्षमता पर ऐसी स्थायी विकलांगता के प्रभाव और परिणाम पर निर्भर होगा | जिस तरीके से मूल्यांकन किया जाना है, वह उक्त निर्णय में निम्नलिखित प्रकार से निहित है-

“12. इसलिए, अधिकरण को पहले यह निर्णय लेना होगा कि क्या कोई स्थायी विकलांगता है और यदि हां, तो ऐसी स्थायी विकलांगता कितनी है । इसका अर्थ है कि अधिकरण को साक्ष्यों के संदर्भ में विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए:

(i) क्या विकलांगता स्थायी है या अस्थायी;

(ii) यदि विकलांगता स्थायी है, तो क्या यह स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता है या स्थायी आंशिक विकलांगता;

(iii) यदि किसी विशिष्ट अंग के संदर्भ में अशक्तता की प्रतिशतता व्यक्त की जाती है, तो संपूर्ण शरीर के कार्य करने में उस अंग की ऐसी विकलांगता का प्रभाव का अर्थ उस व्यक्ति को होने वाली स्थायी अपंगता से होगा ।

यदि अधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि कोई स्थायी विकलांगता नहीं है तो आगे बढ़ने और भावी अर्जन क्षमता के नुकसान का निर्धारण करने का कोई प्रश्न नहीं है । लेकिन यदि अधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि स्थायी विकलांगता है तो वह किस सीमा तक है, इसका आकलन करेगा । अधिकरण द्वारा चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर दावेदार की स्थायी विकलांगता के स्तर का पता लगाने के बाद यह निर्धारित करना होगा कि क्या ऐसी स्थायी विकलांगता से उसकी अर्जन क्षमता प्रभावित हुई है या प्रभावित होगी ।

13. वास्तविक अर्जन क्षमता पर स्थायी विकलांगता के प्रभाव को निश्चित करने के लिए तीन स्तर हैं । अधिकरण को पहले यह पता लगाना होगा कि स्थायी विकलांगता के बावजूद दावेदार किन कार्यों को कर सकता है और स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप वह क्या नहीं कर सकता है (यह जीवन की सुविधाओं की हानि की मद के अंतर्गत मुआवजा देते समय भी सुसंगत है) । दूसरा स्तर दुर्घटना से पहले उसके व्यवसाय, पेशे और काम की प्रकृति का पता लगाना है, साथ ही उसकी उम्र का भी । तीसरा स्तर यह पता लगाना है कि क्या (i) दावेदार किसी भी प्रकार की आजीविका कमाने से पूर्णत अक्षम है, या (ii) क्या स्थायी विकलांगता के बावजूद दावेदार अभी भी उन कार्यकलापों और कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकता है, जो वह पहले से कर रहा था, या (iii) क्या उसे अपने पहले के कार्यकलापों व कार्यों को पूरा करने में रुकावट या दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई अन्य कार्यकलापों और कुछ कम कार्यों को कर सकता है जिससे कि वह

कमाना जारी रख सके या अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए कार्य करता रहे |

xx xx xx

19. अब हम ऊपर विचार किए गए सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं:

(i) सभी चोटों (या चोटों से उत्पन्न होने वाली स्थाई विकलांगता) का परिणाम अर्जन क्षमता की हानि नहीं है ।

(ii) किसी व्यक्ति के संपूर्ण शरीर के संदर्भ में स्थायी विकलांगता के प्रतिशत को अर्जन क्षमता के नुकसान का प्रतिशत नहीं माना जा सकता है । अन्य ढंग से कहें तो अर्जन क्षमता के नुकसान का प्रतिशत स्थायी विकलांगता के प्रतिशत के समान नहीं है (कुछ मामलों को छोड़कर, जहां साक्ष्यों के आधार पर अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अर्जन क्षमता के नुकसान का प्रतिशत और स्थायी विकलांगता का प्रतिशत एक समान है) ।

(iii) जिस चिकित्सक ने किसी घायल दावेदार का इलाज किया है अथवा जिसने बाद में उसकी जांच कर उसकी स्थायी विकलांगता के स्तर का आकलन किया है, वह स्थायी विकलांगता के स्तर के संबंध में ही साक्ष्य दे सकता है । अर्जन क्षमता का नुकसान ऐसा है जिसका आकलन संपूर्ण रूप से साक्ष्य के संदर्भ में अधिकरण द्वारा किया जाना होगा ।

(iv) समान स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप अर्जन क्षमता की हानि की प्रतिशतता विभिन्न व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है जो व्यवसाय, पेशे या नौकरी, आयु, शिक्षा और अन्य कारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है ।"

23) पूर्वोक्त निर्णयों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सिद्धांतों को लिया जा सकता है जो वर्तमान अपील पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक होंगे:

(i) उन मामलों में जहां दुर्घटना का पीड़ित व्यक्ति कमाने वाला नहीं बल्कि एक छात्र हो, भविष्य में होने वाली कमाई के नुकसान के मुआवजे का

आकलन करते समय, जांच का केंद्र ऐसे व्यक्ति की प्रगति की संभावना और भविष्य में संभावित कमाई होगी । उदाहरण के लिए, जहां दावेदार किसी विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहा है, कसौटी यह होगी कि - यदि वह उक्त पाठ्यक्रम के अनुरूप नौकरी में शामिल हो गया होता तो उसकी आय क्या होती । वही भविष्य में उसकी कमाई हो सकती है ।

(ii) ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें पीड़ित व्यक्ति उस समय किसी विशेष नौकरी को करने के लिए इस प्रकार का कोई पाठ्यक्रम नहीं पढ़ रहा है । हो सकता है कि वह किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो । ऐसे मामले में, भविष्य में प्रगति विविध कारकों पर निर्भर करेगी जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि, किसी विशेष व्यवसाय हेतु शिकायतकर्ता की पसंद/रुचि, उसे ऐसा पेशा अपनाने हेतु उपलब्ध सुविधाएं तथा उसके आसपास की अनुकूल परिस्थितियाँ को देखना जो दावेदार को उक्त पेशे को सफलतापूर्वक चुनने में सक्षम बनातीं |

यदि चुना हुआ क्षेत्र रोजगार है तो भविष्य में होने वाली कमाई को ऐसे नियोजन के लिए देय वेतन और भत्तों के आधार पर लिया जा सकता है । यदि भविष्य कोई विशेष व्यवसाय है तो भविष्य में होने वाली कमाई अन्य कारकों पर निर्भर करेगी जिसके आधार पर ऐसे व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने की संभावना का अंदाजा लगाया जा सकता है ।

(iii) कुछ मामले जैसे कि ***देव पटौदी*** जिसमें एक छात्र, दावेदार अंशकालिक आधार पर आय अर्जित कर सकता था अथवा उसको किसी विशेष कार्य की पेशकश की जा सकती थी | ऐसे मामलों में, इन कारकों को भी प्रासंगिक माना जाएगा ।

(iv) उपर्युक्त तरीके से पीड़ित व्यक्ति की संभावित आय का पता लगाने के बाद, तथा उसके परिणामस्वरूप हुई चोटों और अपंगता की प्रकृति का निर्धारण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि इससे कितनी आय प्रभावित हुई है । यहां, कार्यात्मक विकलांगता पर चोटों के प्रभाव को देखना है । पीड़ित की मृत्यु की दशा में, आय में पूर्णतः हानि माना जाएगा । चोटों के मामले में, विकलांगता की प्रकृति महत्वपूर्ण हो जाती है । ऐसा प्रयोग ***एन. मंजेगौड़ा*** मामले में किया गया था |

24) अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए सुसंगत कारक इस प्रकार से हैं - अपीलकर्ता वकीलों के परिवार से है और उसके माता-पिता दोनों ही उच्चतम न्यायालय में वकालत कर रहे वरिष्ठ वकील थे । अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण अपीलकर्ता भी कानूनी पेशे से जुड़ना चाहता था, हालांकि दुर्घटना के समय वह स्कूल में ही पढ़ रहा था । संपन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के फलस्वरूप, दुर्घटना के समय अपीलकर्ता प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली में पढ़ रहा था । इन सभी

परिस्थितियों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता का भविष्य उज्ज्वल था और इसलिए पूर्वोक्त कारकों को ध्यान में रखे बिना उनकी भावी आय पर विचार नहीं किया जा सकता । अपीलकर्ता ने अपनी विकलांगता के संबंध में सबूत भी पेश किए । यह विकलांगता कमाई की संभावनाओं की अधिक हानि का संकेत नहीं है चूंकि यह ***एन. मंजेगौड़ा*** मामले के समान है । हालांकि, उसके कार्यकलाप बाधित हैं और उसे एक ड्राइवर की आवश्यकता है क्योंकि वह खुद कार चलाने की स्थिति में नहीं है । इससे अर्जन क्षमता में कुछ हद तक तो बाधा पैदा होगी, परन्तु बहुत अधिक नहीं |

25) एम.ए.सी.टी. के निर्णय से हम देखते हैं कि इस पहलु पर इसने ***अरुण सोंधी बनाम दिल्ली परिवहन निगम*** (2001) ACJ 1779 के निर्णय का अनुसरण किया है और 4,08,000/-रुपये का मुआवजा दिया है । इसने इस आधार पर 40% स्थायी विकलांगता के कारण 75,000 रुपये भी जोड़ दिए हैं कि इससे आय में कमी आने के अलावा समग्र रूप से अपीलकर्ता के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है । 4,08,000/- रुपए की गणना निम्नलिखित तरीके से की गयी है:

> "42. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने विस्तारपूर्वक यह दलील दी है कि भविष्य में अर्जन क्षमता में कमी के कारण याचिकाकर्ता को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना अपेक्षित है । यह कहा गया है कि दुर्घटना में हुई चोटों के कारण याचिकाकर्ता की आय में 60% की कमी आई है जो वह अन्यथा अर्जित कर सकता था । मेरा विचार है

कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता । दुर्घटना के समय याचिकाकर्ता छात्र था । उसने अपने व्यवसाय की शुरुआत दुर्घटना के करीब 5 साल बाद की थी । मैं यह नहीं कहता कि याचिकाकर्ता पर चोटों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए तरीके से इसकी मात्रा का निर्धारण करना शायद ठीक नहीं होगा । इस संबंध में मैं मानता हूं कि ***अरुण सोंधी बनाम दिल्ली परिवहन निगम*** (2001) ACJ 1779 मामले से मार्गदर्शन लिया जा सकता है । इस मामले में घायल 21 वर्ष का छात्र था और उसे 100 प्रतिशत विकलांगता हुई थी | एल.पी.ए. में भविष्य में होने वाली कमाई का आकलन 5000/- रुपये प्रति माह किया गया और 16 के गुणक को अपनाने के बाद 10,80,000/- रुपये का मुआवजा मंज़ूर हुआ | यदि इसी सिद्धांत को अपनाया जाता है और भविष्य में होने वाली कमाई 5000/- रुपये और विकलांगता 40% है, तो आय की मासिक हानि 2000/- रुपये प्रतिमाह या 24 हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से आती है | यह एक निर्धारित प्रस्ताव है कि स्थायी विकलांगता के मामले में विचारण के समय आयु के अनुसार ही गुणक को अपनाया जाता है । इस सिद्धांत को अपनाते हुए यदि 17 के गुणक को अपनाया जाता है तो भविष्य में होने वाली आय के नुकसान के कारण मुआवजा 24,000/- X 17 = 4,08,000 रुपये बनता है ।”

26) जैसा कि उपर्युक्त से देखा जा सकता है, भविष्य में होने वाली आय की हानि 2 हजार रुपये प्रतिमाह अथवा 24 हजार रुपये प्रति वर्ष आंकी गई है । इस प्रक्रिया में, एम.ए.सी.टी. ने ऊपर उल्लिखित प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया है, जिन पर विचार किया जाना चाहिए था । इसके साथ ही यह कार्यात्मक विकलांगता है जिसे ध्यान में रखना होगा । हालांकि, सहज रूप से, अपीलकर्ता द्वारा ग्रस्त

विकलांगता के कारण कार्यात्मक क्षमता क्षीण हो गई है क्योंकि अपीलकर्ता अपनी उम्र के अन्य युवा अधिवक्ताओं की तरह इधर-उधर भाग-दौड़ नहीं कर सकता । समग्र परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी यह राय है कि अपीलकर्ता के मामले में, भविष्य में होने वाली आय की हानि 5000/- रु प्रति माह अर्थात 60,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की जा सकती है जिस पर 18 के गुणक को लागू किया जाना है । इस तरीके से गणना की जाए तो भविष्य में होने वाली कमाई की हानि 10,80,000/- रुपये होती है । इस प्रकार अपीलकर्ता को जैसा कि निचले न्यायालय द्वारा कहा गया था, इस मद के अंतर्गत ब्याज सहित 6,54,000/- रुपये की एक अन्य राशि का भुगतान किया जाएगा । हम श्री अरूण मोहन के कथन को अभिलेख पर ले सकते हैं कि अपीलकर्ता ने सड़क सुरक्षा की दिशा में कार्य कर रहे किसी सरकारी या सार्वजनिक धर्मार्थ संगठन को यह राशि देने की इच्छा जताई है । हम अपीलकर्ता के इस विचार की सराहना करते हैं । हम इसे अपीलकर्ता पर छोड़ते हैं कि वह अपनी पसंद के किसी भी संगठन को यह राशि दान कर सकता है । वैकल्पिक रूप से, यह अपीलकर्ता द्वारा एम.ए.एम.सी. परियोजना के लिए दिया जा सकता है । विकल्प पूरी तरह से अपीलकर्ता का होगा ।

(II) इसके साथ, हम श्री अरुण मोहन द्वारा दिए गए दूसरे प्रस्ताव पर ध्यान देते हैं । प्रारम्भ में, हम यह बताना चाहेंगे कि यह पहलू उन सुधारों से

संबंधित है जो सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवज़े के भुगतान के संबंध में लाए जा सकते हैं । हम श्री अरूण मोहन द्वारा दिए गए सुझावों की भी प्रशंसा करना चाहेंगे जो दूरदर्शी प्रकृति के हैं । उन्होंने जिन दो पहलुओं पर प्रकाश डाला है, उन पर क्रमानुसार नीचे विचार किया गया है ।

(क) <u>सड़क सुरक्षा और मुआवजा :</u>

27) यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो और एक ऐसा तंत्र लाया जाए जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने में देरी और अन्य बाधाओं को रोकता हो । हर जिले में एम.ए.एम.ए. की स्थापना के लिए श्री अरुण मोहन का सुझाव स्वीकार योग्य है । यह एक कड़वा सच है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में प्राधिकारियों द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं, दुर्घटनाएं रोकने में नाकाम हैं । संभवतः सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई हो, लेकिन दुर्घटनाएं पूर्णतः रुक नहीं सकती | ऐसी दुर्घटनाओं, विशेष रूप से घातक दुर्घटनाओं, के कारण पीड़ितों और/अथवा पीड़ितों के परिजनों द्वारा मुआवज़े के लिए दावे तो दाखिल किये ही जायेंगे । घातक दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप, लापरवाही और तेजी से गाड़ी चलाने वाले चालक, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई, के खिलाफ अभियोजन भी बढ़ा है | जहां तक दावों के संबंध में विवादों का संबंध है, इसका यथाशीघ्र समाधान किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि कई कारणों से दावेदारों को

मुआवज़े की राशि की अत्यधिक आवश्यकता हो सकती है और इसमें विलम्ब से कई तरह की असह्य परेशानियां हो सकती हैं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं के कारण ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इनके तुरंत समाधान के उपाय अपनाने की आवश्यकता है । ऐसे में, विवाद के निपटारे की अवधारणा के रूप में मध्यस्थता, विवाद के विरोधात्मक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने से पहले ही, अत्यंत महत्वपूर्ण होगा | मध्यस्थता के कई फायदे हैं । यह विचार विधायिका के साथ ही साथ नीति निर्माताओं द्वारा भी मान्य ठहराया गया है और इस बारे में कोई संशय नहीं है | मध्यस्थता की आवश्यकता सदा रहेगी | इसका विकास भी होगा | मध्यस्थता से होने वाले फायदों को एक तरीके के रूप में अपनाने से नए आधार खोजे जा सकते हैं | इसका विस्तार होना है क्योंकि यह समय की आवश्यकता है । अब इसे सांविधिक मान्यता मिल रही है और इसे कुछ विधियों में भी शामिल किया गया है । कंपनी अधिनियम, दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड (इन्सोल्वेंसी एवं बैंकरप्टसी कोड), वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम आदि इसके उदाहरण हैं । इन अधिनियमों में इस प्रक्रिया को अनिवार्य बनाते हुए वाद-पूर्व मध्यस्थता के लिए भी प्रावधान किए गए हैं । किसी भी मामले में, सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 89 के रूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्य प्रावधान भी हैं जिनमें न्यायालय के साथ जुड़े मध्यस्थता

का प्रावधान है । अब समय आ चुका है कि अब दुर्घटना के दावों के निपटान के लिए इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए | इसलिए एम.ए.एम.ए. की स्थापना का सुझाव प्रशंसनीय है । हम सरकार से सिफारिश करते हैं कि वह मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके एम.ए.एम.ए. स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करे । वास्तव में, जिस तरह से इस देश में मध्यस्थता का प्रयोग बढ़ रहा है, भारतीय मध्यस्थता अधिनियम को भी अधिनियमित करने की सख्त जरूरत है ।

28) जब तक संसद द्वारा ऐसा संशोधन नहीं लाया जाता, तब तक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) को इस कार्य को एक परियोजना के रूप में लेना चाहिए । मोटर दुर्घटना मध्यस्थता प्रकोष्ठ (एम.ए.एम.सी.) की कार्यप्रणाली के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट/माड्यूल तैयार किया जाए । यह कार्रवाई दो माह की अवधि में पूरी की जाए । तत्पश्चात्, इस परियोजना को सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एस.एल.एस.ए.) के साथ साझा किया जा सकता है ताकि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपने संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डी.एल.एस.ए.) के माध्यम से इसे कार्यान्वित कर सकें ।

29) उच्चतम न्यायालय में मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एम.सी.पी.सी.) है जो कि न्यायालय से जुडी मध्यस्थता सहित मध्यस्थता की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए विभिन्न नीतिगत निर्णय लेती है । एम.सी.पी.सी.

की संरचना के विस्तार से, उच्च न्यायालय के मध्यस्थता केंद्रों के साथ ही जिला न्यायालय के स्तर पर मध्यस्थता केंद्रों के साथ उचित समन्वय प्राप्त किया गया है । इस प्रकार, नालसा भी एम.ए.एम.सी. की परियोजना को एम.सी.पी.सी. को सौंपने पर भी विचार कर सकता है ।

30) श्री अरुण मोहन, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लिखित पुस्तक: 'सड़क दुर्घटना: बचाव, सावधानी और क्षतिपूर्ति' में सड़क पीड़ितों के लिए न्याय मिलने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया है । एम.ए.एम.ए. की स्थापना पर विशेष अध्याय है जो परियोजना की तैयारी और उसे अंतिम रूप देने के लिए नालसा को काफी मदद कर सकता है । नालसा को उस पुस्तक में दिए गए सुझावों और प्रस्तावों पर विचार करना फायदेमंद रहेगा | इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, दुर्घटना अन्वेषक को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट की प्रति एम.ए.एम.सी. को भेजने अथवा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद को ईमेल करने का प्रावधान किया जा सकता है । इसकी एक प्रति एम.ए.एम.सी. को भेजने से मध्यस्थता में मदद मिलेगी, दूसरी ओर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद को सूचना देने से परिषद को भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने में सहायता मिलेगी ।

(ख) एम.ए.सी.टी. द्वारा मामलों का शीघ्रातिशीघ्र निपटान

31) एम.ए.एम.ए./एम.ए.एम.सी. की स्थापना मामले को एम.ए.सी.टी. में दायर किए जाने से पहले दावों के समाधान करने के प्रयोजनार्थ है । यह सर्वविदित है कि एम.ए.सी.टी. के समक्ष लंबित मामलों के सौहार्द्रपूर्ण निपटान के लिए लोक अदालत के रूप में वैकल्पिक विवाद निपटान का सहारा लिया जाता है, जो समय के साथ-साथ जबरदस्त रूप से सफल रहा है | ये लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा भी आयोजित की जाती हैं । लोक अदालतों द्वारा मामलों के निपटान के अपने फायदे और नुकसान होते हैं । जैसा भी हो, लोक अदालत के अपने फायदों के कारण इसका प्रयोग जारी रखना चाहिए ।

32. उपरोक्त वैकल्पिक विवाद निपटान विधियों के बावजूद, एम.ए.सी.टी. के समक्ष न्याय प्रक्रिया का होना अपरिहार्य है । इस बात की गारंटी नहीं हो सकती कि मध्यस्थता या लोक अदालत के माध्यम से 100 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया जा सकता है | अतः इन मामलों को बिना विलम्ब और सीमित अवधि में निपटाने की सख्त आवश्यकता है । दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों के निपटारे में तेजी लाने हेतु प्रक्रिया दर्शाने वाले और यह सुनिश्चित करने वाले कि योजनाओं का निपटान दुर्घटना की तारीख से 90/120 दिन की अवधि के भीतर किया जाए, कुछ निर्णय दिए हैं । संक्षेप में, इन निर्देशों में यह

शामिल है कि दुर्घटना होने पर, पुलिस को जो सबसे पहले इस मामले में सामने आती है, जांच पूरी करनी चाहिए और संबंधित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष एफ.आई.आर. दर्ज कराने के साथ-साथ, प्रतियां एम.ए.सी.टी. के साथ ही बीमा कंपनी को भी भेजी जाएँ । बीमा कंपनी को यह पता लगाने के लिए इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या वह दावा देय है और 30 दिनों के भीतर उसे एम.ए.सी.टी. को जवाब देना चाहिए और एक बार ये दस्तावेज साक्ष्य आदि के रूप में एम.ए.सी.टी. के समक्ष आ जाते हैं तो यह उसे इस मामले को 30 दिन के भीतर निर्णय करने हेतु सक्षम बना देता है | एफ.ए.ओ. सं 843/2003 का निर्णय दिनांक 16 दिसम्बर, 2009, वह मामला है जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है । इस न्यायालय ने ***जयप्रकाश बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 11801-11804/2005)*** में अपनी सहमति भी अपने दिनांक 13 मई, 2016 के आदेश में निम्नलिखित तरीके से दी है-

> "जहां तक उक्त सुझाव का संबंध है, विद्वान महासालिसिटर ने हमारे समक्ष जनरल इंशोरेंस काउंसिल की ओर से फाइल किये गए जवाब, 'विशेष रूप से पैराग्राफ 4', की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कहा गया है कि इस समय पैराग्राफ 23 में सुझाई गई प्रक्रिया का अनुपालन दिल्ली में बीमा कंपनियों द्वारा "दावा अधिकरण सम्मत प्रक्रिया" नामक एक योजना के माध्यम से किया जा रहा है जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने एफ.ए.ओ. सं 843/2003 शीर्षक राजेश त्यागी और अन्य बनाम जयबीर सिंह एवं अन्य में पारित दिनांक 16.12.2009 के निर्णय में तैयार किया था । इसमें यह भी

उल्लेख किया गया है कि अधिकरण के साथ-साथ विधिक सेवा प्राधिकरण उक्त प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चलाया जा रहा है । पैरा 5 में आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि चूंकि यह प्रक्रिया दिल्ली में सफल रही है, इसलिए इसे अखिल भारतीय आधार पर बढ़ाया जा सकता है । जनरल इंशोरेंस काउंसिल की ओर से दायर जवाब के साथ अनुलग्नक आर-5 के रूप में सहमत प्रक्रिया भी दायर की गई है ।"

"हमने इस प्रक्रिया को भी देखा लिया है, जिसे जवाब के साथ अनुलग्नक आर-5 के रूप में फाइल किया गया है, जो हमारे विचार से एक विस्तृत प्रक्रिया प्रतीत होती है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के महानिबंधक को आगे निर्देश जारी कर सकते हैं कि जहां तक दिल्ली का प्रश्न है इस प्रक्रिया का सख्ती से अनुपालन किया जाए और उक्त प्रक्रिया को अन्य सभी उच्च न्यायालयों को भी भेजे और अन्य सभी उच्च न्यायालयों के महानिबंधक को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त प्रक्रिया मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा संबंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशक के साथ समन्वय करके कार्यान्वित की जाए |

उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री (कार्यालय) को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति, अनुलग्नक आर-5 (जनरल इंशोरेंस काउंसिल की ओर से दायर जवाब के पेज 32 से 46 के साथ) दिल्ली उच्च न्यायालय सहित सभी उच्च न्यायालयों को अग्रेषित करे ताकि वर्तमान आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके |"

33) ***जयप्रकाश*** मामले में दिनांक 6 नवम्बर, 2017 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने दिनांक 13 मई, 2016 के अपने आदेश में संशोधन किया और सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे 12 दिसम्बर, 2014 को दिल्ली उच्च

न्यायालय द्वारा प्रतिपादित संशोधित दावा अधिकरण सम्मत प्रक्रिया को क्रियान्वित करें । संशोधित दावा अधिकरण सम्मत प्रक्रिया की प्रति आवश्यक अनुपालना के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय के महानिबंधक को अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया । उक्त आदेश के संगत भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "विद्वान न्याय मित्र का यह भी कथन है कि 13 मई, 2016 के हमारे आदेश में उल्लिखित न्यायमूर्ति मिड्ढा द्वारा पारित आदेश को वास्तव में दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को न्यायमूर्ति मिड्ढा द्वारा संशोधित किया जा चुका था । अतः दिनांक 13 मई, 2016 के आदेश को इस सीमा तक संशोधित माना जाए जो कि न्यायमूर्ति मिड्ढा ने 12 दिसम्बर, 2014 को अपने पहले के आदेश को संशोधित कर दिया है । रजिस्ट्री इस आदेश की प्रति के साथ-साथ न्यायमूर्ति मिड्ढा द्वारा दिनांक 12 दिसंबर, 2014 को पारित आदेश की प्रति प्रत्येक उच्च न्यायालय के महानिबंधक को आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए भेजेगी |"

34) अखिल भारतीय स्तर पर इसका पालन करने की आवश्यकता है । नालसा को इसकी सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय और सहयोग के साथ-साथ इस पर ध्यान देना चाहिए और इसकी निगरानी करनी चाहिए|

(ग) **पीड़ितों एवं/अथवा** पीड़ितों **के परिजनों के सुरक्षित हाथों में मुआवजे की प्राप्ति सुनिश्चित करना:**

35. श्री अरुण मोहन ने सुझाव दिया कि इस संबंध में सरकार प्रक्रियाओं एवं योजनाओं को बना सकती है| विशेषत: LIC/RBI पेंशन फण्ड विनियामक एवं

विकास प्राधिकरण एवं व्यावसायिक बैंकों/बीमा कंपनियों के साथ विचार विमर्श करके वार्षिकी की उपलब्धता प्रदान कर सकती है| इसे आसान करने के लिए, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने दो फ्लोचार्ट दिये हैं, पहला, वर्तमान कानून के अंतर्गत एवं दूसरा MAMA की स्थापना के अंतर्गत| ऐसी प्रक्रिया एवं योजनाओं को बनाने का विवरण ऊपर संदर्भित श्री अरुण मोहन की बुक में दिया गया है| हम सरकार से आशा करते हैं कि ऐसी योजनाओं को बनाने एवं वार्षिकी प्रमाण पत्रों की उपलब्धता की व्यवहार्यता को देखें | यह प्रयोग छः महीने की अवधि के भीतर किया जाए एवं उसी के अनुरूप फैसला लिया जाए|

36) इसके अतिरिक्त, हम यह भी वर्णन करना चाहते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने (**राजेश त्यागी बनाम** जयवीर **सिंह एवं अन्य (FAO सं. 842 of 2003) (न्यायाधीश जे.आर. मिड्ढा द्वारा)** मोटर दुर्घटना दावे वार्षिकी जमा योजना MACAD योजना बनाने का कार्य भारतीय बैंक समिति के सहयोग से किया था| बैंकों को शामिल करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि योजना बैंकों के द्वारा कार्यान्वित की जाए| उपरोक्त मामले में दिनांक 7 दिसम्बर, 2018 को पारित अपने आदेश में विद्वान् न्यायाधीश ने अभिलिखित किया कि 21 बैंकों ने MACAD योजना के कार्यान्वयन करने का फैसला किया था जिसे न्यायालय द्वारा 1 मई, 2018 द्वारा अनुमोदित किया गया | इन 21 बैंकों के प्रभावी दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया गया था |

न्यायालय ने निर्देशित किया कि इन प्रभावी दस्तावेज़ों को उच्च न्यायालय के महानिबंधक को प्रदान किया जाए जिससे ये सभी MACT's को परिचालित किये जा सकें | आगे, उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिए गए हैं | अत: हम 7 दिसम्बर, 2018 के आदेश को सम्पूर्णत: दोबारा पेश करना चाहेंगे |

> "1. श्री ललित भसीन, भारतीय बैंक समिति के विद्वान् अधिवक्ता ने 21 बैंकों के प्रभावी दस्तावेज़ों की प्रतियों को सौंपा है जिन्होंने, न्यायालय द्वारा 01 मई, 2018 को अनुमोदित, मोटर दुर्घटना दावा वार्षिकी जमा योजना (MACAD योजना) को कार्यान्वित किया है | इन 21 बैंकों के प्रभावी दस्तावेजों के संकलन को अभिलेख पर लिया गया| भारतीय बैंक समिति की ओर से विद्वान् अधिवक्ता कार्यकारी दस्तावेजों की प्रति महानिबंधक को सभी दावा अधिकरणों को परिचालित करने के लिए देंगे | 2. महानिबंधक को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त दस्तावेज़ों को सभी दावा अधिकरणों में कार्यान्वित किये जाने हेतु भेजे | दावा अधिकरण आदेश दिनांक 1 मई 2018 के अनुसार, दावेदारों को अवार्ड राशि तरीकेबद्ध ढंग से प्रदान करेगा और अवार्ड राशि मोटर दुर्घटना दावा वार्षिकी जमा योजना द्वारा प्रदान की जायेगी | 3. सभी बैंकों को 4 सप्ताह के भीतर प्रधान अधिकारी नियुक्त करने हेतु निर्देश दिया जाता है | भारतीय बैंक समिति के विद्वान् अधिवक्ता बैंकों के प्रधान अधिकारियों के पते, फोन न. व ई मेल पते सहित उनकी एक सूची तैयार करेंगे और उसे महानिबंधक को जमा करायेंगे जो इस प्रधान अधिकारियों की सूची को सभी दावा अधिकरणों को भेजेंगे| प्रत्येक बैंक के प्रधान अधिकारी अपनी शाखाओं द्वारा दुर्घटना दावा वार्षिकी जमा योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे | दावा अधिकरण प्रदानित आदेश की प्रति को बैंक के प्रधान अधिकारी को ई-मेल द्वारा भेजेगा जो ई-मेल के प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर बैंक द्वारा इसे प्रदान करने को सुनिश्चित करेगा | 4. भारतीय बैंक समिति तथा दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस दुर्घटना दावा वार्षिकी जमा योजना का प्रिंट मीडिया के साथ साथ डिजिटल मीडिया में पर्याप्त रूप से प्रचार करेंगे | 5. आदेशों दिनांक 12.01.2018, 09.03.2018,

01.05.2018, 20.07.2018 तथा 07.09.2018 में दिए गए निर्देशों को शामिल करते हुए आदेश दिनांक 15.12.2017 के अनुसार दावा अधिकरण सम्मत प्रक्रिया में संशोधन किया जाता है| संशोधित दावा अधिकरण सहमति प्रक्रिया इस आदेश के साथ संलग्न है | 6. महानिबंधक संशोधित दावा अधिकरण सहमति प्रक्रिया को सभी दावा अधिकरणों को प्रेषित करेगा| दावा अधिकरण, दिल्ली पुलिस तथा बीमा कंपनियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 01.01.2019 से संशोधित दावा अधिकरण सहमति प्रक्रिया को लागू करें | 7. विद्वान् न्याय मित्र ने कथन किया कि समिति इस न्यायालय द्वारा उसे संदर्भित किये गए मुद्दों पर विचार कर रही है| समिति की अंतिम रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष अगली सुनवाई की तारिख को फाइल की जाए | 8. अनुपालना हेतु दिनांक 08.02.2019 को 2:30 p.m. सुनवाई की जाए| 9. न्यायालय दुर्घटना दावा वार्षिकी जमा योजना के कार्यान्वयन हेतु भारतीय बैंक संघ की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री ललित भसीन के सहयोग की सराहना करता है | 10. संशोधित दावा अधिकरण सहमति प्रक्रिया के साथ इस आदेश की प्रति इस न्यायालय के महानिबंधक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस के साथ साथ जनरल इंशोरेंस काउंसिल (5वां तल, बिल्डिंग सं. 14, नेशनल इंशोरेंस बिल्डिंग, जमशेदजी टाटा रोड, चर्च गेट, मुंबई-400020) को भेजी जाए| जनरल इंशोरेंस काउंसिल इस आदेश को सभी बीमा कंपनियों को प्रेषित करेगी| 11. इस आदेश की प्रति वादकारों की ओर से विद्वान् अधिवक्ता सहित भारतीय बैंक संघ तथा दिल्ली पुलिस की ओर से विद्वान् अधिवक्ता को कोर्ट मास्टर के हस्ताक्षर से दस्ती दी जाए |

37. इस प्रकार, 'दावा अधिकरण सहमति प्रक्रिया' जो संशोधित प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित है, जो उपरलिखित है, के कार्यान्वयन हेतु निर्देश पहले ही दिया गया है| यद्दपि, हमने पाया कि दावा प्राधिकरणों द्वारा उचित कार्यान्वयन नहीं किया गया है| हम, इस प्रकार, निर्देशित करते हैं कि दावा अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों, राज्य पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं इंशोरेंस

कंपनी को जागरूक करने के लिए सभी राज्य न्यायिक परिषदों में उक्त प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु समय समय पर कार्यक्रम होने चाहिए|

38. दिल्ली उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 7, दिसम्बर, 2018 द्वारा अनुमोदित संशोधित दावा अधिकरण सहमति प्रक्रिया की प्रवृत्ति मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामलों का तीव्र गति से निपटान सुनिश्चित करना है| उसी तरह, जो वार्षिकी जमा योजना में क्रियान्वित 21 बैंकों के प्रभावी दस्तावेज़ सुनिश्चित कर सकते है की मुआवज़ा उन व्यक्तियों को दिया गया है जिनको मिलना चाहिए| यह वार्षिकी भुगतान के लिए है| अत: पूरे देश में दावा अधिकरणों द्वारा MACAD योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता है| हम उसी अनुसार निर्देशित करते हैं | हम 21 बैंकों को निर्देश देते हैं कि वह अखिल भारतीय आधार पर इसके प्रभावी दस्तावेज़ों का कार्यान्वयन करे|

39. हम विभिन्न निर्देश/सिफारिशें निम्न प्रकार से प्रस्तुत करते हैं:

(a) हम सरकार से आशा करते हैं कि सामान्य रूप से मध्यस्थता के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए भारतीय मध्यस्थता अधिनियम को लागू करने की संभाव्यता पर विचार करे |

(b) मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके सरकार MAMA को स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करें | इस उद्देश्य के लिए, यह अपीलार्थी के द्वारा दिए गए दो फ्लो चार्ट्स पर विचार कर सकती है |

(c) इसी बीच में, NALSA को मोटर दुर्घटना मध्यस्थता सेल स्थापित करने हेतु निर्देशित किया जाता है जो NALSA के संरक्षण में स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकता है अथवा MCPC को सौंपा जा सकता है | ऐसा प्रोजेक्ट दो महीने की अवधि के भीतर तैयार होना चाहिए एवं तत्पश्चात इसे विभिन्न स्तरों पर अपना कार्य तुरंत शुरू करना चाहिए जैसा कि इस निर्णय में सुझाया गया है | हम ***जय प्रकाश*** मामले में दिनांक 6 नवम्बर, 2017 के आदेश में सम्मिलित निर्देशों को आधुनिक संशोधित दावा अधिकरण सहमति प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु दोहराते हैं | ऐसा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, NALSA को विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय एवं सहयोग के साथ इस पर विचार करने के लिए निर्देशित किया जाता है | MACAD योजना अखिल भारतीय आधार पर सभी दावा अधिकरणों में क्रियान्वित होगी | 21 बैंक, भारतीय बैंक संघ के सदस्यों जिन्होंने MACAD योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है वे अखिल भारतीय आधार पर ऐसा ही करेंगे |

(d) हम सरकार से आशा करते हैं कि सरकार आवश्यक योजनाओं को बनाने की संभाव्यता एवं वार्षिक प्रमाण पत्रों की उपलब्धता पर विचार करे| यह अभ्यास छः महीने के भीतर किया जाए एवं तत्पश्चात निर्णय लिया जाए |

(e) इसी प्रकार, हम निर्देश देते हैं कि सभी न्यायिक अकादमियों में दावा अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों, राज्य पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जागरूक करने हेतु तथा इंशोरेंस कंपनियों में उक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु समय समय पर कार्यक्रम किये जाएँ |

40. अपीलों का उपरोक्त तरीके से निपटान किया जाता है|

.....न्यायाधीश

ए.के.सीकरी

.....न्यायाधीश

एस. अब्दुल नज़ीर

नई दिल्ली
05 मार्च, 2019

[अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी |]